जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/vg/12 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 4 अगस्त 2021

"Who is the competent authority to deside this?"

क्या यह शब्द राजस्थान संवाद के भ्रष्ट अधिकारियों को आज भी चैन से सोने दे रहे है?

विशेष रिपोर्ट-12

राजस्थान संवाद के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा राजस्थान संवाद को सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर रखने की साजिश हुई बेनकाब!!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

पिछले अंक मे किया था खुलासा

हमारे द्वारा पिछले अंक मे बताया गया था कि किस प्रकार जन संपर्क विभाग के तत्कालीन मंत्री महोदय को गुमराह कर राजस्थान संवाद संस्था को सूचना के अधिकार के बाहर करने की नोटशीट पर हस्ताक्षर करवाए गए थे|

आज हम इस अंक के द्वारा उस नोटशीट को प्रकाशित कर रहे है जिसका हवाला दे-देकर राजस्थान संवाद के पूर्ववर्ती अधिकारी और वर्तमान वरिष्ठ प्रबन्धक श्री शिव चंद मीणा राजस्थान संवाद संस्था को सूचना के अधिकार से बाहर बताने का दावा कर रहे है और पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव मे राजस्थान संवाद के सरकारी खजाने को लूट-लूट कर भ्रष्टाचार के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे है|

22/11/2013 को चलायी गयी इस नोटशीट मे राजस्थान संवाद के तत्कालीन छह अधिकारियों(जिनके नाम उनके हस्ताक्षर देखकर जांच अधिकारी पता लगा सकते है) द्वारा मनगड़ंत,भ्रामक और तथ्यहीन दलीलों का हवाला देकर राजस्थान संवाद को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने की अनुशंसा की गयी|

जब यह पत्रावली अनुशंसा के लिए सूचना एवं जन संपर्क का अतिरिक्त प्रभार देख रहे तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव शैलेंद्र अग्रवाल के पास पहुंची तो उनके द्वारा यह नोट लगाकर कि **"Who is the competent authority to deside this?"** पत्रावली पुनः विभाग को लौटा दी|

लेकिन राजस्थान संवाद की तत्कालीन वित्तीय सलाहकार(जिनके नाम उनके हस्ताक्षर देखकर जांच अधिकारी पता लगा सकते है) द्वारा तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव शैलेंद्र अग्रवाल के इस नोट **"Who is the competent authority to deside this?"** का जवाब देने की बजाय, इस नोटशीट के पेरा 1 से 4 का हवाला देते हुए और यह दावा करते हुए कि इस मामले मे विधिक राय भी प्राप्त कर ली गयी है,को मंत्री महोदय के पास ले गयी और उस समय आचार संहिता लगने के बावजूद(जिस समय सरकार को कोई बड़ा प्रशासनिक,वित्तीय,तकनीकी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता)मंत्री महोदय को गुमराह कर हस्ताक्षर करवा लिए|

आपको बता दें कि इस नोटशीट का हवाला देकर ही राजस्थान संवाद के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उसी दिन एक कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया जिसका हवाला देकर राजस्थान संवाद के अधिकारी यह दावा करते है कि राजस्थान संवाद सूचना के अधिकार से बाहर है|

आइए आपको बताते है दो पन्नों के इस नोटशीट की असली हकीकत!!!

राजस्थान संवाद
कार्यालय टिप्पणी

राजस्थान संवाद एक स्ववित्त पोषित संस्था है जिसको राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता/बजट राशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है ना ही विधानसभा में बजट पारित होता है। राजस्थान संवाद में नियमित सामान्य (regular) नियुक्तियों के कोई प्रावधान नही है। (ऑपरेशनल मैनुअल अध्याय 2, बिन्दु संख्या 2.4) राजस्थान संवाद के अधिकतम अधिकारी पदेन आधार पर कार्य कर रहे हैं। राजस्थान संवाद में कर्मचारी एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर कार्यरत हैं, जो पब्लिक सर्वेन्ट नहीं है। राजस्थान संवाद राज्य सरकार के लोक सूचना अधिकारियों की सूची में भी नहीं हैं (संलग्न)

राजस्थान संवाद डी.आई.पी.आर. के विकासात्मक कार्यो में प्रतिमाह बडी राशि व्यय करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, दिल्ली ने भी अपने विनिश्चय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि किसी संस्था को राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय मदद परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 की धारा 2 (स) के तहत लोक प्राधिकरण नहीं माना जा सकता।

लोक प्राधिकरण नहीं माने जाने के सम्बन्ध में निम्न निर्णय हैं :-

1. सिविल अपील संख्या 9017/13 थालापल्लम कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ केरला (S.C.)
2. अपील संख्या Cic/SS/A/2011/001245 सुभाष चंद अग्रवाल बनाम इफ्फको (CIC)
3. AIR 2010/Cerla 6
4. AIR 2009/ Bombay 75

राजस्थान संवाद की प्रबन्ध समिति में मंत्री एवं राजकीय अधिकारी पदस्थापित हैं। राजस्थान संवाद की दैनिक कार्यप्रणाली राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान संवाद को उपलब्ध करायी जाती है, अतः उपरोक्त 04 न्यायिक निश्चयों के क्रम में राजस्थान संवाद को सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 के तहत लोक प्राधिकरण की परिभाषा एवं परिधि से बाहर रखे जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

प्रबंधक (आउटडोर मीडिया) | प्रबंधक (प्रिन्ट) | वित्तीय सलाहकार

लेखा प्रबंधक | वरिष्ठ प्रबंधक, राज.संवाद, नई दिल्ली

सहायक निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (आई.ई.सी)

FA/1156
22.11.13

12.11.13
Who is the competent authority to decide this ?

तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों की मंशा पर उठाया गया सवाल|

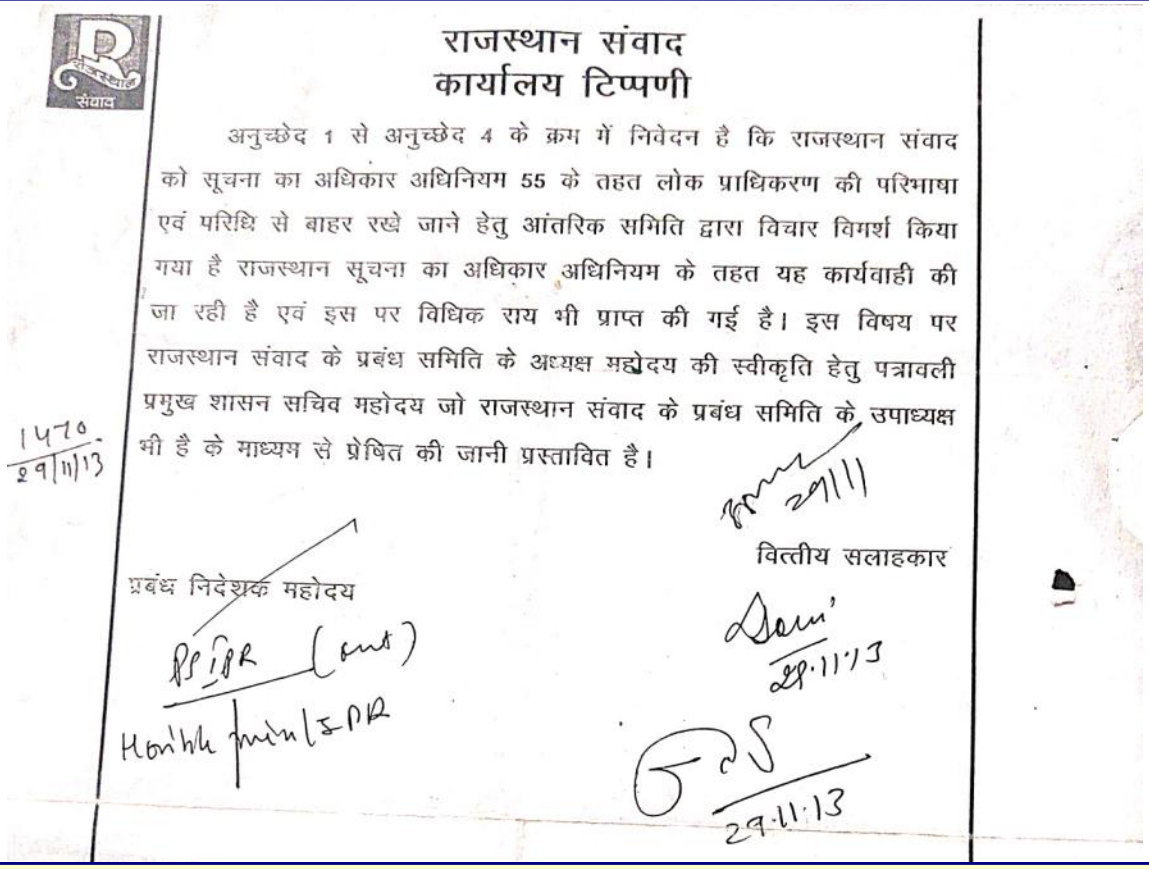

राजस्थान संवाद
कार्यालय टिप्पणी

अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान संवाद को सूचना का अधिकार अधिनियम 55 के तहत लोक प्राधिकरण की परिभाषा एवं परिधि से बाहर रखे जाने हेतु आंतरिक समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह कार्यवाही की जा रही है एवं इस पर विधिक राय भी प्राप्त की गई है। इस विषय पर राजस्थान संवाद के प्रबंध समिति के अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति हेतु पत्रावली प्रमुख शासन सचिव महोदय जो राजस्थान संवाद के प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष भी है के माध्यम से प्रेषित की जानी प्रस्तावित है।

1470
29/11/13

29/11

वित्तीय सलाहकार

प्रबंध निदेशक महोदय

PS IPR (Ant)

Hon'ble Min/IPR

29.11.13

29.11.13

जवाब मांगते सवाल?

1. कौन है इस नोटशीट को चलाने यह छह अधिकारी?
2. क्या है इनकी इन नोटशीट मे लिखी गयी मनगड़ंत,भ्रामक और तथ्यहीन दलीलों की हकीकत?
3. आखिर क्यूँ तत्कालीन वित्तीय सलाहकार द्वारा तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव शैलेंद्र अग्रवाल के इस नोट "Who is the competent authority to deside this?" का जवाब नहीं दिया गया?
4. आखिर कौन है आंतरिक समिति के सदस्य जिनको यह अधिकार है कि वह भारत द्वारा बनाए गए नागरिक कानून को चुनोती देते हुए राजस्थान संवाद संस्था को सूचना के अधिकार से बाहर करने की अनुशंसा कर सके?
5. क्या किसी संगठन को सूचना के अधिकार से बाहर रखने के लिए सरकार के मंत्रिमंडल की स्वीकृति या गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता नहीं होती?
6. राजस्थान संवाद द्वारा किस सरकारी वकील से विधिक राय ली गयी और कहाँ है उसकी विधिक राय?
7. जब यह पत्रावली दुबारा तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव के पास पहुची तो उनको किस प्रकार गुमराह कर हस्ताक्षर करवाए गए?
8. क्या आचार संहिता मे किसी मंत्री को बड़े प्रशासनिक,तकनीकी या वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार होता है?
9. क्या इस मामले मे तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव और मंत्री महोदय भी बराबर के दोषी है?